



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर दहेज हत्या के अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹6,000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मुस्करा में पंजीकृत मु०अ०सं०- 67/2013 धारा-498ए,304बी भा०द०सं० व ¾ डीपी एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय एफटीसी-1 /जीएसटी एक्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त नर सिंह पुत्र स्व० विजय बहादुर ग्राम मसगांव थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर को 10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹6,000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी  
श्री रामबाबू अवस्थी



विवेचक-  
सीओ राठ श्री  
जितेन्द्र नाथ पाण्डेय



पैरोकार- थाना मुस्करा  
का० ज्ञानेन्द्र कुमार